

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

Published by Authority

श्रावण २९, बुधवार, शाके 1947- अगस्त २०, २०२५ Sravana २९, Wednesday, Saka 1947- August २०, २०२५

भाग 5 (घ)

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये निर्णय। श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 19, 2025

संख्या एफ.14(11)(3)पंजीयनछूट/श्रम/विधि/2025/पार्ट/002067 :-राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 (1958 का अधिनियम 31) की धारा 3 की उपधारा (2) में प्रदत्त शिक्तयों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत धारा 4 एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान नियम 1959 के नियम 3 के अन्तर्गत 0 से 10 श्रमिक नियोजित किये जाने वाले सस्थानों को अधिनियम के अन्तर्गत एतद् द्वारा पंजीयन से छूट प्रदान करती है:-

राज्यपाल के आदेश से,

ह.

धर्मपाल सिंह,

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं, पदेन संयुक्त शासन सचिव।

72

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।